



# यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक- पी-2, सेक्टर-आमेगा-1 ग्रेटर नोएडा सिटी - 201308, गौतमबुद्धनगर (उ०प्र०)  
दूरभाष न० - 0120 - 2395151 एवं 53, फ़ैक्स न० - 0120 - 2395150

पत्रांक : वाई.ई.ए. / वित्त / 558 / 2015

दिनांक : 21/12/15

## कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 54 वी बोर्ड बैठक दिनांक 14.12.2015 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2015-16 की अवशेष अवधि में प्राधिकरण की विभिन्न परिसम्पत्तियों के दरो निम्नानुसार पुनरीक्षित की गयी है :-

क्र० सं०	श्रेणी	(रु० प्रति वर्ग मी० में) प्रस्तावित दरें
1.	आवासीय	15,620
2.	व्यवसायिक	34,080
3.	ग्रुप हाउसिंग	16,225
4.	संस्थागत	
क.	सीनियर सैकंडरी स्कूल, इण्टर कॉलेज, डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स, इन्जीनियरिंग कालेज, डेन्टल कालेज, यूनिवर्सिटी, नर्सरी स्कूल आदि - 4,000 वर्ग मी० तक	7,560
	- 4,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 8,000 वर्ग मी० तक	6,825
	- 8,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 20,000 वर्ग मी० तक	6,090
	- 20,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 40,000 वर्ग मी० तक	5,355
	- 40,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 80,000 वर्ग मी० तक	4,620
	- 80,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त	3,990
ख.	आई०टी० एण्ड आई०टी०ई०एस० तथा इलेक्ट्रॉनिक यूनिट	उपरोक्तानुसार संस्थागत क्षेत्र की आवंटन दरें ही लागू होगी, मेगा निवेश 50 करोड व उससे अधिक होने पर 25% कम दर होगी
ग.	समाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर	
	i) विद्युत सब स्टेशन, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि के सरकारी कार्यालय	5,250
	ii) मिल्क बूथ आदि (पराग/मदर डेयरी)	5,250
	iii) धार्मिक स्थल/ अनाथालय/विधवा आश्रम/वृद्धाश्रम	4,465
	iv) अस्पताल	9,975
घ.	कॉरपोरेट आफिस	11,025

कमशः

*SR*

5.	औद्योगिक	
	- 4,000 वर्ग मी० तक	6,405
	- 4,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 8,000 वर्ग मी० तक	5,460
	- 8,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 20,000 वर्ग मी० तक	4,620
	- 20,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 40,000 वर्ग मी० तक	4,200
	- 40,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 80,000 वर्ग मी० तक	4,045
	- 80,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त	3,885
6.	वेयर हाउसिंग :-	उपरोक्त आद्योगिक दरो का 1.5 गुना।
7.	रिक्लेशनल ग्रीन्स	
	- 4,000 वर्ग मी० तक	5,355
	- 4,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 8,000 वर्ग मी० तक	4,830
	- 8,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 20,000 वर्ग मी० तक	4,410
	- 20,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 40,000 वर्ग मी० तक	4,095
	- 40,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त 80,000 वर्ग मी० तक	3,835
	- 80,000 वर्ग मी० से अतिरिक्त	3,520

### टिप्पणी

- i) उपरोक्त दरे दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होंगी।
- ii) उपरोक्त दरो के आधार पर मिक्स लैण्ड यूज की दरे आगणित की जायेगी।
- iii) प्राधिकरण द्वारा पूर्व में प्रचलित समस्त परिसम्पत्ति से सम्बन्धित योजनाएँ दिनांक 31.12.2015 तक समाप्त कर दी जायेगी।

/

(जी०पी० सिंह)  
वित्त नियंत्रक

### प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचनार्थ।
4. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचनार्थ (एस०/ए०)।
5. सभी महाप्रबन्धक/विभागाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त)
7. गार्ड फाईल।

SK

(वित्त नियंत्रक)